

k668 30521

6503 1000Rs.



अध्यापिका श्री मन्मथ देवी के मृत्यु के निमित्त लिखे गये हैं। 9/7/05

निबंधन नं. 83 (9) के अंतर्गत  
जा. 1099  
क. 1072  
रा. 109-7-05  
न. 9/7/05

23 vide Affidavit No 1072

109 dt 9-7-05

2825 दिनांक  
22-6-05 के अनुसार अनापत्ति आदेश प्रत्येक

भागीरथ महतो  
9/7/05

Free paid.

₹ 810.00  
₹ 54.00  
₹ 864.00  
₹ 2.50  
₹ 0.94  
₹ 3.44

₹ 867.44

9/7/05

नीशा देवी

:- विक्रयपत्र केवाला दस्तावेज :-

केवाला दाता :- श्रीमती देवप्रिया सिन्हा, पति श्री शंकर कुमार सिन्हा, जाति-कायस्थ, पेशा-गृहिणी, सा किम-लुबी सर्कुलर रोड हीरापुर, थाना वो जिला-धनबाद, उक्त दाता के तरफ से आम-मोखतार श्री भागीरथ महतो, पिता श्री रामधन महतो, जाति-तेली, पेशा-व्यवसाय, सा किम-हरियाडीह, थाना-बरवाअड्डा, जिला-धनबाद, जिसका आम-मोखतार संख्या-17 120 दिनांक-16.6.05, को निबंधन कार्यालय धनबाद से निबंधित कृत है भारतीय।









माता निशा देवी  
9/7/05

:- 2 -:

केवाला ग्रहिता :-1-श्रीमती निशा देवी, पति श्री पवन कुम्हार,  
2-नाबालक रवि कुमार प्रजापति, पिता श्री पवन कुम्हार, उक्त  
नाबालक के तरफ गार्जेन प्रतिपालिका माता श्रीमती निशा देवी,  
पति श्री पवन कुम्हार, जाति-कुम्हार, पेशा-गृहिणी एवं विद्यार्थी,  
साकिम-पुटकी, थाना-पुटकी, जिला-धनबाद । भारतीय ।

नीशा देवी





माधुरी महता  
9/7/05

:- 3 :-

बिक्रय पत्र केवाला दस्तावेज ।

मुल्य-81,000/- ~~एकासी~~ हजार रुपये मात्र ।


सालाना मालगुजारी-30 पैसा मात्र ।

अंचल कार्यालय धनबाद ।

मालिक जमीन्दार झारखंड सरकार ।

नीशा देवी





71101/24-4181  
9/7/05

:- 4 -:

विवरण जायदाद :- जिला अवर निबंधन कार्यालय धनबाद, थाना-  
धनबाद अन्तर्गत "बारमुड़ी" मौजा में कायेमी रैयती स्वत्व की  
खरिदा हुआ जमीन । मौजा बारमुड़ी, मौजा नं०-३, खाता नं०-  
२९ उन्तीस। प्लोट नं०-  $\frac{5}{498}$  पाँच बटा चार सौ अठानब्बे।  
रकबा-३.३९ कंठो यानि-५.६० डिस्तमिल जमीन में आज ईस  
केवाला दस्तावेज द्वारा बिक्री किया ।

नीशा देवी





भारतीय रिज़र्व बैंक  
भारतीय रिज़र्व बैंक  
प. नं. १० १९३७-३८



:- 5 -:

जिसका चौदहदी :-

उत्तर- चंचला देबी,  
दक्षिण- वसन्ती देबी,  
पुरब- रवि कान्त सिंह,  
पश्चिम- रोड ।

१९३७-१९३८-३९  
१/७/०५

मूल एवं द्वितीयक दस्तावेज के साथ एक-एक प्रति नक्शा नथी किया गया है, एवं बिक्रीत स्थान को लाल रंग से रंगाकर दर्शाया गया है ।

लीशा देवी





9/7/05  
M/2012/21-4/2/1

:- 6 -:

उपरोक्त जमीन धनबाद निबंधन कार्यालय का निबंधित किया हुआ केवाला दस्तावेज संख्या-11017 दिनांक-21.12.1984 साल को अमिया कुमार बनर्जी एवं अन्य से मेरी अपनी नाम से केवाला खरिदा हुआ जमीन है। जिसका वही संख्या-1, जिल्द संख्या-27, पृष्ठ संख्या-11 से 18 सन्-1985 साल में लिपिबद्ध हुआ है, तथा आल सर्वे में मेरी निज नाम से - खतियान बना हुआ है। जिसका नया प्लोट नं0-135 बना है, जिसका थोका संख्या-535 में सालाना मालगुजारी का रसीद कटती है।

मीशा देवी





2/10/2019 महीना  
9/7/05

:- 7 -:

उपरोक्त जमीन बिक्री हेतु ज्ञापक-2825 दिनांक-22.6.2005 को शहरी भू-हदबन्दी अपर-समाहर्ता धनबाद से अनापत्ति निर्गत किया गया है।

चुंकि विवरण यह है कि दाता को सांसारिक खर्च के लिए रुपये की अति आवश्यकता आ पड़ी है। इसलिए विवरण में दिये गये जायदाद बिक्री किये बिना रुपये की बन्दोबस्त होना कठीन है। इसलिए उपरोक्त जायदाद को बिक्री करने की घोषणा कि एवं ग्रहिता ने विवरण में दिये गये जायदाद खरीदने को राजी हुए, एवं दोनों पक्षों की मशवारा से उक्त जायदाद की मूल्य-81,000/- रुपये लेकर विवरण में दिये गये जायदाद बिक्री कर हमेशा के लिए निः स्वत्व हुए, एवं - ग्रहिता को दर्खकार किया तथा दर्ख दिया।

नीशा देवी





भारतीय रिज़र्व बैंक  
भारत  
ST. 1591 21 04 11

7/12/2011  
10314.16/11  
9/7/05

-- 8 --

दाता का जिस तरह का हक-अख्तियार, दावी-दावा है, आज तारिख से ग्रहिता को हुआ। ग्रहिता, जायदाद पर मकान, आंगन, कुंआ, बगान-बगिचा आदि तैयार कर निज वसवास या किराया बन्दोवस्त कर अपना इच्छानुसार दान, बिक्री, रेहनादि मनमाना कर सकते है। इससे दाता या दाता के वंजि कभी किसी तरह का वजुर या स्तराज न होगा, अगर करें तो कानूनन बातिल और नामंजुर होगा।

मीशा देवी

उपरोक्त जायदाद का दाखिल-खारिज के संबंध में दाता को जो कुछ भी ग्रहिता को मदद करना पड़े वह बिना वजुर करेगे। बिक्री जायदाद की सालाना मालगुजारी मालिक जमीन्दार झारखंड सरकार को बराबर अदा देकर दाता के नाम कटवाकर ग्रहिता अपना नाम से दाखिल-खारिज करवा कर मालगुजारी की रसीद हासिल करेगे।





D  
 10/11/14  
 9/7/05

:- 9 -:

लीशा देवी


बिछी जायदाद दाता के खास दखल में है, कभी किसी तरह का हस्तान्तरण आदि नहीं किया हुआ है। अगर भविष्य में किसी तरह का दाय-संयोग या हस्तान्तर आदि पाया जाय और उससे ग्रहिता या ग्रहिता के वंशज को क्षति पहुँचे तो दाता या दाता के वंशज क्षति-पूरण का देनदार होगा या होंगे।

अतः दाता अपनी स्थिर बुद्धि एवं तरलता से बिचार कर मूल्य का पुरा रूपये पाकर एवं समझ-बुझकर यह बिक्रयपत्र केवाला दस्तावेज लिख दिया कि समय पर काम आवें।





भारतीय रिजर्व बैंक  
भारत  
१९-१९९९



१० :- :-

माश्रीरशमहली  
9/7/05

इति तारिख- 9-7-05-साख/

मैंने दस्तावेज का प्राल्प बनाया एवं दोनो

पक्षो को पढ़कर सुनाया एवं समझा दिया ।

श्रीशंकर चण्ड दे श्री चमरबाद ला० न०- 9-7-05

:- गवाहगण :-

प्रमाणित किया जाता है कि मूल  
दस्तावेज एवं द्वितीयक प्रति एक-  
दूसरे कि हूबहू और सच्ची प्रति-  
पिता है ।

माश्रीरशमहली  
9/7/05

नीशा देवी

111 अर्जुन कुमार महली

चमरबाद

9/7/05

121 राम प्रताप मजरात

(3) अमरबाद चण्डबाद

टंककः





विक्रेता श्री मती देवीप्रभा सिन्हा पति श्री पंकज कुमार सिन्हा साकिम  
 लुवी सकुल २ रोड हीरापुर थाना वी जिला बनवाड़, उक्त विक्रेता के  
 तरफ से आम मौकदार प्राप्त श्री भागीरथ महतो पिता श्री रामधन  
 महतो साकिम हरिभाडीह थाना बरकाअड्डा जिला बनवाड़ !

क्रेता श्री मती निशा देवी पति श्री पवन कुमार (शुभाषी) रवि कुमार  
 प्रजापति पिता श्री पवन कुमार साकिम पुटकी थाना पुटकी  
 जिला बनवाड़ !

तपशील मौजा वारमुड़ी नं० ३ थाना बनवाड़ रवाता नं० २१ प्लॉट नं०  
 ५ रकबा ३.३९ कठ्ठा भूमि ५.६० डिसमील जमीन जो नक्शे पर  
 ५९४ लाल निम्नोत स्थान है।

नया प्लॉट नं० १३५ बना है !

चौहद्दी :- ३० चंचला देवी  
 द० वसन्ती देवी  
 पु० रविकान्त सिंह  
 प० रोड



भागीरथ महतो  
 १/७/०५

नीशा देवी

मकम महतो  
 १/७/०५